

आयोग प्रत्यायोजित विनियमन (ईयू) 2022/1450**27 जून 2022 का**

यूरोपीय संसद और परिषद के विनियमन (ईयू) 2018/848 के पूरक के रूप में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण जैविक पशुधन के उत्पादन के लिए गैर कार्बनिक प्रोटीन फ़ीड के उपयोग के संबंध में

(ईईए प्रासंगिकता के साथ पाठ)

यूरोपीय आयोग,

यूरोपीय संघ के कामकाज पर संधि के संबंध में,

जैविक उत्पादन और जैविक उत्पादों के लेबलिंग पर यूरोपीय संसद और 30 मई 2018 की परिषद के विनियमन (ईयू) 2018/848 और परिषद विनियमन (ईसी) संख्या 834/2007 [\(1\)](#) और विशेष रूप से अनुच्छेद 22 (1), अंक (बी) और (सी) को निरस्त करने के संबंध में,

जबकि:

- (1) 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कई सदस्य राज्यों को जैविक प्रोटीन फ़ीड की आपूर्ति पर गंभीर परिणाम हो रहे हैं क्योंकि यूक्रेन उन सदस्य राज्यों में जैविक पोर्सिन जानवरों और मुर्गी पालन के लिए इस तरह के फ़ीड के मुख्य आपूर्तिकर्ताओं में से एक था।
- (2) उन सदस्य राज्यों में जैविक प्रोटीन फ़ीड की उपलब्धता की कमी से पुराने जैविक पोर्सिन जानवरों और पोल्ट्री के जैविक उत्पादन की निरंतरता को खतरा है जो अनुबंध II के भाग II के अंक 1.9.3.1 (सी) और 1.9.4.2 (सी) में प्रदान किए गए अवमूल्यन से कवर नहीं हैं विनियमन (ईयू) 2018/848 युवा जानवरों को गैर-जैविक प्रोटीन फ़ीड का 5% तक खिलाने की अनुमति देता है।
- (3) इसलिए यह उचित है कि सदस्य राज्यों को अनुमति दी जाए जिन्होंने इस स्थिति को प्रत्यायोजित विनियमन (ईयू) 1/2020 (2) के अनुच्छेद 1 (2) के अनुसार विनाशकारी परिस्थितियों के रूप में मान्यता दी है अनुबंध II के भाग II के बिंदु 1.4.1 (बी) से अस्थायी रूप से अवमूल्यन करने के लिए विनियमन (ईयू) 2018/848 की आवश्यकता है कि जैविक पशुधन को जैविक या इन-रूपांतरण फ़ीड के साथ खिलाया जाना चाहिए, अनुबंध II के भाग II के अंक 1.9.3.1 (c) और 1.9.4.2 (c) में निर्धारित अपमानों को विनियमन (EU) 2018/848 में पोर्सिन जानवरों और मुर्गी पालन की पुरानी श्रेणियों तक बढ़ाकर।
- (4) पारदर्शिता और नियंत्रण के उद्देश्य से, यह आवश्यक है कि दी गई अवमूल्यन की जानकारी एक कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से सदस्य राज्यों और आयोग के बीच सामंजस्यपूर्ण तरीके से साझा की जाए।
- (5) यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जिन प्रचालकों को इस तरह के अपमान दिए गए थे, वे उन अपमानों की शर्तों का पालन करते हैं।
- (6) नियंत्रण के उद्देश्य के लिए, ऑपरेटरों को यह साबित करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य रखने चाहिए कि उन्हें उन अपमानों को दिया गया था और वे इससे संबंधित शर्तों का पालन करते हैं।

(7) यह विनियमन 24 फरवरी 2022 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होना चाहिए, यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य आक्रामकता की तारीख, इस विनियमन को अपनाया है:

लेख 1

1. उन सदस्य राज्यों में जिन्होंने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद जैविक प्रोटीन फ्रीड की उपलब्धता की कमी को प्रत्यायोजित विनियमन (ईयू) 2020/2146 के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भयावह परिस्थितियों के रूप में मान्यता दी है, सक्षम प्राधिकारी अनुबंध II के भाग II के भाग II के अंक 1.9.3.1 (c) और 1.9.4.2 (c) के तहत विनियमन (EU) 2018/848 के तहत निर्धारित अपमानों को संदर्भित पोर्सिन जानवरों और मुर्गी की श्रेणियों से अधिक पुराने लोगों तक बढ़ा सकते हैं उन बिंदुओं में, बशर्ते कि वे अपमान लागू हों:

(क) सीमित अवधि के लिए और आवश्यकता से अधिक नहीं, और किसी भी मामले में 12 महीने से अधिक नहीं;

(ख) प्रभावित सभी ऑपरेटरों के लिए जो जैविक पोर्सिन जानवरों या मुर्गी का उत्पादन करते हैं।

2. पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट अनादर का आवेदन उस अवधि के दौरान विनियमन (ईयू) 35/2018 के अनुच्छेद 848 में निर्दिष्ट प्रमाणपत्रों की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा, जहां अवमूल्यन लागू होते हैं, बशर्ते कि संबंधित ऑपरेटर उन शर्तों को पूरा करें जिनके तहत उन अवमूल्यन को प्रदान किया गया था।

लेख 2

1. सदस्य राज्य आयोग और अन्य सदस्य राज्यों को अनुच्छेद 1 (1) के अनुसार उनके सक्षम अधिकारियों द्वारा दिए गए अवमूल्यन पर देरी के बिना आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से सूचित करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों और सूचनाओं के आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है।

2. कोई भी ऑपरेटर जिस पर दिए गए अवमूल्यन लागू होते हैं, उन अपमानों के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ-साथ उस अवधि के दौरान उन अपमानों के उपयोग के दस्तावेजी साक्ष्य रखेगा जहां वे लागू होते हैं।

3. सक्षम प्राधिकारी, या जहां उपयुक्त हो, सदस्य राज्यों के नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय, दिए गए अवमूल्यन की शर्तों के साथ ऑपरेटरों के अनुपालन को सत्यापित करेंगे।

लेख 3

यह विनियमन यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में इसके प्रकाशन के अगले दिन लागू होगा।

यह 24 फरवरी 2022 से लागू होगा।

यह विनियमन अपनी संपूर्णता में बाध्यकारी होगा और सभी सदस्य राज्यों में सीधे लागू होगा।

ब्रसेल्स में किया गया, 27 जून 2022।

आयोग के लिए

राष्ट्रपति

उर्सुला वॉन डेर लेयेन

[1] [ओजे एल 150, 14.6.2018, पी।](#)

[\[2\]](#) 24 सितंबर 2020 का कमीशन डेलिगेटेड रेगुलेशन (ईयू) 2020/2146 यूरोपीय संसद और परिषद के विनियमन (ईयू) 2018/848 के पूरक के रूप में जैविक उत्पादन में असाधारण उत्पादन नियमों के संबंध में ([ओजे एल 428, 18.12.2020, पृष्ठ 5](#))।